समूह आवास समितियों के फर्जी सदस्यों को हटाया जाना

2525. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस०एस० सुरजेवाला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फ्लैटों के निर्माण हेतु अब तक कितनी पंजीकृत समूह आवास समितियों को भूमि आवंटित की गई है;

(ख) इनमें कितनी समितियों को भूमि आवंटित की गई थी, जिन पर उन्होंने फ्लैटों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ग) सरकार इन समितियों से फर्जी सदस्यों को हटाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि 518 सरकारी समूह आवास समितियों को भूमि दिल्ली के विभिन्न भागों में वर्ष 1983 से पहले आवंटित की गयी थी। अन्य 216 समितियों को 1992 से द्वारका चरण प्रथम में विशेष भूखण्ड आवंटित किए गये है। उनमें से 103 समितियों ने समग्र प्रीमियम की अदायगी पर आवंटित भूमि का कब्जा ले लिया है।

(ख) दि०वि०प्रा० ने 11 समितियों के मामले में पूर्णता प्रमाण पत्र और 116 समितियों के मामले में अस्थायी कब्जा प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

(ग) पंजीयक सहकारी समितियां, दिल्ली ने सूचना दी है कि आवास समितियों के सदस्यों का पंजीकरण दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 1973 के नियम 24 और 30 के तहत आवास समितियों की प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। अयोग्य पाये जाने वाले सदस्यों के विरुद्ध नियम 25 और 28 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

नेप्था का आयात

2526. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी औद्योगिक घरानों द्वारा वार्षिक रूप से कितनी मात्रा में नेप्था का आयात किया जा रहा है;

(ख) देश में नेप्था के उत्पादन द्वारा कितने प्रतिशत और किस हद तक घरेलू मांग पूरी की जा रही है;

(ग) सरकार द्वारा नेप्था के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं और अब तक इस दिशा में कितनी सफलता मिली है;

(घ) किन-किन निजी औद्योगिक घरानों को नेप्था का आयात करने की मंजूरी दी गयी है तथा उस संबंध में अपनाये गये नियमों, मानदंड और शर्तों का ब्यौरा क्या है, क्या नेप्था के आयात पर इन घरानों का एकाधिकार स्थापित हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर०बालू): (क) तेल समन्वय समिति के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी पक्षकारों द्वारा किए गए नेफ्था के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	(आंकड़े टी एम टी में) मात्रा
1993-94	138.3
1994-95	389.1
1995-96	228.5

(ख) ऐसा अनुमान है कि नेप्था के वर्तमान उपभोक्ताओं की संपूर्ण मांग वर्तमान वर्ष 1996-97 के दौरान लगभग 4.8 एम एम टी है, जिसे स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जा रहा है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा पेट्रोलियम उत्पदों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त उद्यमों सहित निजी क्षेत्र में शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) नेफ्था का आयात दिसम्बर, 1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है, बशर्ते कि उत्पादन की बिक्री केवल तेल रिफाइनरियों को की जाए अथवा फीडस्टाक के रूप में इनकी घरेलू खात की जाए।

Petroleum Dealerships to one person at more than one places

2527. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether same persons have been granted dealerships at two or more places by Bharat Petroleum/Hindustan Pet-roleun/Indian Oil Corporation in

Maharashtra;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the second dealership is likely to be cencelled?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (c) Oil Marketing Companies as also Oil Selection Boards are under clear instructions that a person shall not be awarded a new dealership/ distributorship if he or any of his close relatives already holds a dealership/distributorship of any petroleum product of any oil company, In spite of this, a complaint has been recently received that a person already having an LPG distributorship has been awarded a Kerosene dealership in Distt. Akola (Maharashtra).

Irregularities brought to the notice of Government are inquired into and in proven cases punitive action including termination of dealership is taken.

Amnesty to Kashmiri Militants

2528. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Minister of Home Affairs had met the former Kashmiri militants;

(b) whether some of the militants have sought general amnesty;

(c) if so, whether Government have considered granting them general amnesty; and

(d) if so, the steps taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (d) A group of former militant leaders representing the Forum for Permanent Resolution of J&K problem have met the Union Home Minister. They have been in dialogue with the Government since March, 1996 to seek ways of restoring peace in the State of Jammu and Kashmir. For this purpose they have suggested the need for taking certain confidence building measures, including, mainly, the review of the cases and release of persons who had been arrested and are still in custody, and other actions that could help in the restoration of peace and normalcy in the State. The Government has been responding to these suggestions in a positive spirit and based on merits. However, there has been no proposal for the grant of a general amnesty.

Diversion of Poverty Alleviation Funds by the States

2529 DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) Whether the States have been allowed to use 50 percent of their annual plan outlay on the schemes, programmes and projects of their choices;

(b) whether this also includes funds earmarked for poverty alleviation programmes; and

(c) if so, the reasons for such diversion of funds?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER ALAGH): (a) to (c) The entire State Plan outlay is allocated among different Scheme/' Programmes as proposed by the State Governments. However, in order to ensure national priorities and to protect the outlay on certain important Schemes-Programmes in different sectors including Minimum Needs Programme etc., earmarking is done by the Planning Commission in consultation with the State Governments which under the present guidelines is generally restricted to 50 per cent of the total outlay. The central assistance is cut proportionately if the outlay under the earmarked sectors falls below the